(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

महिला एवं बाल विकास विभाग

महाराणा प्रताप आई.एस.बी.टी .भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

(समन्वय शाखा(

फा. सं. 34 (04)/समन्वय/विविध/महिला एवं बाल विकास विभाग/2024-25/ 10767-73 दिनांक: 16 SEP 2025

परिपत्र

राजभाषा हिन्दी के संवर्धन एवं प्रसार के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, जी.एन.सी.टी. दिल्ली तथा माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा प्रेषित संदेश के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि *"हिन्दी दिवस"* दिनांक 14 सितम्बर, 2025 को विभागीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ तथा इसके अतिरिक्त *"हिन्दी पखवाड़ा"* भी उत्साहपूर्वक मनाया जाए।

सभी शाखा प्रभारी एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यालयों एवं महिला एवं बाल देखभाल संस्थानों आदि में ***"हिन्दी दिवस"*** तथा ***"हिन्दी पखवाड़ा"*** के अवसर पर उपयुक्त कार्यक्रम जैसे संदेश पठन, प्रतियोगिताएँ, व्याख्यान, कार्यशालाएँ आदि अनिवार्य रूप से आयोजित कराएँ। साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय सूचना पट्ट, पत्राचार एवं कार्यक्रमों में हिन्दी के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही संलग्न हिन्दी सूक्तियों/नारों का प्रयोग अधिकाधिक किया जाए, ताकि कार्यालयों एवं संस्थानों में वातावरण हिन्दीमय बनाया जा सके।

सभी शाखा प्रभारी एवं जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त निर्देशों का पूर्णतः एवं समयबद्ध अनुपालन किया जाए।

यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर जारी किए गए हैं।

संलग्न: हिन्दी सूक्तियाँ/नारे।

सिम्फनी

(सिम्फनी)

सहायक निदेशक (समन्वय शाखा)

फा. सं. 34 (04)/समन्वय/विविध/महिला एवं बाल विकास विभाग/2024-25/ 10767-73 दिनांक: 16 SEP 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के **निजी सचिव — सद्विज्ञापनार्थ / अवगतार्थ।**
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के **विशेष कार्य अधिकारी — सद्विज्ञापनार्थ /सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
3. विशेष निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के **विशेष अधिकारी — सद्विज्ञापनार्थ /अवगतार्थ एवं आवश्यक समन्वयार्थ।**
4. सभी जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार — **आवश्यक अनुपालन एवं समन्वय हेतु।**
5. समस्त समस्त शाखा प्रभारी, महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्यालय), रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के माध्यम से — **आवश्यक अनुपालन हेतु।**
6. उपनिदेशक)आई.टी(., महिला एवं बाल विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार — **विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।**
7. अभिलेखागार।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
छठा तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं0 5(01) 2025–2026–क0सं0एवं भाषा/पा0फा0/ 1552–1632 दिनांकः 25/07/2025

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषयः "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2025 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय–समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है, अतः आवश्यक है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए।

अतः 14 सितम्बर, 2025 को **"हिन्दी दिवस"** के अवसर पर मुख्य सचिव, दिल्ली के संलग्न संदेश को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग में हिन्दी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के प्रति प्रेरित करने हेतु **"हिन्दी दिवस"** का आयोजन करें तथा अधिकाधिक उत्साहपूर्वक हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा मनायें। सभी विभागों से यह भी अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न सूक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करवाया जाये।

भवदीया

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ0 रश्मि सिंह)
सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं0 5(01) 2025–2026–क0सं0एवं भाषा/पा0फा0/ 1552–1632 दिनांकः 25/07/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वियन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–01।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
8. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
9. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
10. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में।

(संजय गर्ग)
उप–सचिव/लिंक अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)

धर्मेंद्र, भा.प्र.से.
DHARMENDRA, I.A.S

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

"हिन्दी में काम करना सरल है, आज ही शुरू कीजिए।"

संदेश

हिन्दी दिवस,
14 सितम्बर, 2025

"हिन्दी दिवस" के अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

भाषा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं दार्शनिक पहलुओं को जानने समझने का सशक्त एवं प्रभावी माध्यम होती है। हिन्दी भाषा देश की सभ्यता एव संस्कृति की संवाहक और साथ ही संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावी माध्यम है। हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है।

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। इसी अनुक्रम में 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि संघ सरकार की राजभाषा हिन्दी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। आधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेन्दु हरिशचन्द्र जी ने कहा है **"मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना असंभव है।"** इसी क्रम में महात्मा गांधी ने कहा था **"जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है, वह भाषा हिन्दी है।"** हिन्दी के प्रति प्रेम हमारे राष्ट्र प्रेम को मजबूत बनाता है।

विश्व के सभी प्रमुख विकसित एवं विकासशील देश अपनी–अपनी भाषाओं में ही अपना सरकारी कामकाज करके उन्नत हुए हैं। हिन्दी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है। हिन्दी के इसी महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में टिप्पण तथा पत्राचार को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जाए।

दिल्ली सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। भाषा परिवर्तन का सिद्धान्त यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिन्दी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए।। टिप्पणी, पत्राचार, ई–मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिन्दी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

मैं सभी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों एवं कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने हेतु व्यक्तिगत रुचि लें और स्वयं हिन्दी में कार्य करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें।

आइए, "हिन्दी दिवस" के इस शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूर्ण उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिन्दी में करेंगे तथा इस अवसर पर हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करेंगे और राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करेंगे तथा हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं प्रयोग को अभूतपूर्व नए आयाम देंगे।

जय हिन्द।

(धर्मेंद्र)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102
E-mail : csdelhi@nic.in

हिन्दी भाषा से संबंधित सूक्तियां

1. हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेदभाव के प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।
2. हिन्दी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
3. भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिन्दी महानदी।
4. आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।
5. हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है ।
6. हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
7. हिन्दी अपनाइये, देश का गौरव बढ़ाइये।
8. हिन्दी में काम करना सरल है, आज ही शुरू कीजिए।
9. हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधा जा सकता है।
10. हिन्दी में काम बहुत आसान, समझना आसान, समझाना आसान।
11. हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी पहचान है। आइये इसका प्रयोग करके इसको सम्मान दें।
12. भारत की सभी भाषाएं बढ़ें। संघ का काम हिन्दी में करें।
13. राष्ट्रीय एकता की कुंजी है हिन्दी।
14. हिन्दी हम सबकी अपनी ही भाषा है, इसके प्रयोग में संकोच क्यों?
15. हिन्दी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय एकता का माध्यम है।
16. हिन्दी में सोचें, हिन्दी में लिखें।
17. सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग गौरव की बात है।
18. हिन्दी में काम करते समय सरल भाषा अपनाएं।
19. हिन्दी अपनाएं, देश का मान बढ़ाएं।
20. हम सब का अभिमान है हिन्दी, भारत देश की शान है हिन्दी।
21. हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
22. हिन्दी भाषा को बढ़ावा दीजिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिये।।
23. राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।
24. हिन्दी का सम्मान बढ़ेगा, तभी देख का मान बढ़ेगा।